



# उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी- ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून-248001.

दूरभाष :- 0135-2676260. फ़ैक्स :- 0135-2676177.

पत्रांक ५५०९ / वि०अनु० / ०२ / शा०अनु०-235092(48) / 2024-25

दिनांक : 24/10/24

अधिशाली अभियन्ता  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
पिथौरागढ़।

**विषय:** जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत नगरीय घाट पम्पिंग पेयजल योजना में गुरना गांव के समीप 300 एम.एम. MSERW राईजिंग मेन बदलने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।


उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं०-235092/2024-ई० 76399/ 2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2024 से जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत नगरीय घाट पम्पिंग पेयजल योजना में गुरना गांव के समीप 300 एम.एम. MSERW राईजिंग मेन बदलने की योजना की विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत ₹ 44.83 लाख में से सेन्टेज की धनराशि को कम करते हुए ₹ 40.76 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि ₹ 40.76 लाख आपको आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में इस कार्यालय के पत्र संख्या: 4363 दि. 24.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी है।


कृपया व्यय उपरांत उपयोगिता महाप्रबन्धक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।  
संलग्न-यथोपरि।

पू०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।

  
(देवराज)  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

854.

कर्मन्द् सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक

27 अगस्त, 2024

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत पिथौरागढ़ नगरीय घाट पम्पिंग पेयजल योजना में गुरना गांव के समीप 300 एमएम MSERW, साईजिंग में बदलने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 9095/TAC/2022-23 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत पिथौरागढ़ नगरीय घाट पम्पिंग पेयजल योजना में गुरना गांव के समीप 300 एमएम MSERW साईजिंग में बदलने की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 44.83 लाख में से सेंटेज की धनराशि ₹ 4.07 लाख को कम करते हुए ₹ 40.76 लाख ( ₹ चालीस लाख छियत्तर हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) योजनाओं के प्राक्कलनों में सम्मिलित किए गये सुपरविजन चार्ज धनराशि, जल संस्थान को सेंटेज/सुपरविजन चार्ज अनुमन्यता के संबंध में लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (viii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।
- (ix) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भू-भौतिक निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

534  
30/8/24

Sr.A.O.

A

2024  
अधिकार प्रभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। नवीकृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के अभाव में प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सम्बन्ध अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(xi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति-03-नगरीय पेयजल-05-नगरीय पेयजल-02-नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 सलगन से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/111469/2023 दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/234521/2024 दिनांक 22 अगस्त, 2024 के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

Signed by Karmendra Singh

Date: 27-08-2024 12:23:01

(कर्मन्द् सिंह)

अपर सचिव।

पू०सं०-76399 / (1) / 2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Dhruve Mohan  
Singh Rana

Date: 27-08-2024 13:23:05

(डी0एम0एस0राणा)

संयुक्त सचिव।